न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
004/2022(रसद) (GCMS 2022/18)	11.03.2022	04.05.2022

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स आमेशांति फर्म जरिये भगवान लाल कुमावत, निवासी घटियावली तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती कविता पत्नी कुलदीप डूंगरवाल, सांवरिया रेस्टोरेंट के सामने नरपत की खेडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

विपक्षीगण

उपस्थिति :– हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी एक तरफा — पैरोकार सरकार विपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए सपठित MS & HSD ऑर्डर 2005 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी हितेश जोशी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ की प्रथम सूचना रिपोर्ट 278/2021 दिनांक 30.09.2021 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 29.09.2021 को जिला रसद अधिकारी विनय कुमार शर्मा चित्तौड़गढ़ के यंहा पर पेट्रोलियम पदार्थ की बायोडीजल के नाम पर अवैध व्यापार की सूचना पर श्रीमती पिंकी स्वर्णकार प्रवर्तन निरीक्षक, हितश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, सुमन तिवारी प्रवर्तन अधिकारी एवं ज्योति खटीक प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर पंहुचे। मौके पर पंहुचकर सदर थाना चित्तौड़गढ़ के थानाधिकारी को सूचित किया जिस पर थाने से शांतिलाल कॉन्स्टेबल बेच नंबर 321 व मोहन सिंह कॉन्स्टेबल बेच नंबर 1607 मौके पर उपस्थित हुए। मौके पर पूछताछ करने पर पाया गया कि उक्त परिसर जहां पेट्रोलियम पदार्थ का कारोबार हो रहा है। वह ओम शांति ओम फर्म को एग्रीमेन्ट पर दी हुई है। मौके पर फर्म का कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ। पूछताछ करने पर

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

लोगों ने बताया कि 2–3 दिन पूर्व यहां पर भगवान लाल कुमावत निवासी घटियावली आकर के कार्य कर रहा था। मौके पर फर्म की तरफ से या संचालक की तरफ से कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होने पर गवाहों एवं सदर थाने के प्रतिनिधि की मौजूदगी में परिसर की तलाशी की गई। परिसर की तलाशी में सांवरिया रेस्टॉरेन्ट के सामने बने हुए लोहे के केबिन मे 13 ड्रमों में भरा हुआ पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। जिसका मापन करने पर 1750 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ का होना पाया गया। उक्त लोहे की केबिन में 1 इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो 1 एच.पी. की थी व होन्डा कम्पनी की थी। जिसके दोनों सिरो पर पीली रंग की पाईप लगी हुई पाई गई। परिसर सांवरिया रेस्टॉरेन्ट के पास के प्लॉट में 1 लोहे की केबिन बनी हुई है। जो ओम शांति ओम फर्म के नाम से एग्रीमेन्ट किया हुआ है। केबिन का निरीक्षण करने पर केबिन के अन्दर मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट जिस पर चिंतन इन्जीनियर्स मोबाईल – 9574992851 अचीवर्स, अहमदाबाद गुजरात लिखा हुआ पाया गया। उक्त डिस्पेन्सिंग यूनिट प्लास्टिक पाईप से भूमिगत टेंक से जुडी हुई होनी पायी गई। उक्त डिस्पेन्सिंग यूनिट बिजली के कनेक्शन से जुडी हुई पाई गई। उक्त केबिन में 1 मोटर जो 1.5 एच.पी. कम्पनी टोरमेट की है वह पाई गई। उक्त प्लॉट मे पीछे की ओर 1 भूमिगत टेंक पाया गया जिसका मापन करने पर 4000 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। भूमिगत टेंक में पाये गये पेट्रोलियम पदार्थ को मोटर द्वारा बाहर निकाल कर प्लास्टिक के एवं लोहे के ड्रमों में भरकर अभिग्रहित किया गया। मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार कर 5750 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 13 ड्रम, 2 मोटर एवं 1 मिनी डिस्पेन्सिंग यूनिट कब्जे में ली गई तथा गवाहों के समक्ष उक्त कब्जे में ली गई सामग्री सदर थाना चित्तौड़गढ़ की सुपुर्दगी में देकर हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द अभिग्रहण मय सुपुर्दगीनामा संलग्न किया गया। मौके पर अभिग्रहित 5750 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ में से 3 नमूने लिये गये। नमूने हेतु 3 एल्यूमिनियम के कंटेनर को अभिग्रहित किए गए पेट्रोलियम पदार्थ से धोकर, अच्छी तरह से सुखाकर व साफ कर 750 एमएल पेट्रोलियम पदार्थ प्रत्येक कंटेनर में भरकर नमूने लिये गये। नमूनो को क्रमशः ए–1, ए–2, ए–3 मॉर्का दिया गया तथा कंटेनरो पर नमूना स्लिप आवश्यक सूचनाओं व हस्ताक्षर के साथ चस्पा की गई। उक्त नमूनों को वुडन बॉक्स को भी प्लास्टिक सील से सील बन्द किया गया। नमूना ए–2 वास्ते FSL जाँच सदर थाना चित्तौड़गढ़ की सुपुर्दगी मे दिया गया तथा नमूना ए–1 व ए–3 अग्रिम कार्यवाही हेतु कार्यालय मे जमा करवाने के लिये साथ लिये गये। फर्द नमूना तैयार कर संलग्न किया गया। मौके पर फर्म का कोई प्रतिनिधि या संचालक नहीं होना पाया गया ना ही इनके द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। मौके पर कार्यवाही के दौरान विद्युत विभाग के JEN आनन्द पुरी गोस्वामी भी उपस्थित हुए जिन्होने बताया कि उक्त परिसर मे जो विद्युत कनेक्शन श्रीमती कविता W/O कुलदीप डूंगरवाल के नाम पर है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में अभिग्रहित 5750 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

13 ड्रम, 2 मोटर एवं 1 मिनी डिस्पेन्सिंग राजसात कराने की कृपा करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। दिनांक 13.04.2022 को विपक्षी संख्या 1 के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी संख्या 1 की विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 04.05.2022 को विपक्षी संख्या 2 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से विपक्षी संख्या 2 के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार ने प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की। इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली को एकतरफा सुना गया। पैरोकार सरकार आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि विपक्षी द्वारा अवैध रूप से बाहरी राज्यों से पेट्रोलियम पदार्थ यहां लाकर अन्य टैंकरों में निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन एवं भण्डारण करने के साथ ही अवैध तरीके से विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोलियम पदार्थ की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य सामग्री को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। सुनी गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत गहनता पूर्वक अवलोकन किया। विपक्षीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाये जाने से विपक्षीगण की ओर से पेट्रोलियम पदार्थ अपने पास रख भण्डारण करने, विक्रय करने तथा परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज, लाईसेंस एवं प्रस्तुत आवेदन का खण्डन पत्रावली पर नहीं होना जाहिर होता है। हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन–मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण द्वारा बाहर से अवैध रूप से टैंकरों में पेट्रोलियम पदार्थ भरकर लाना तथा अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना, विक्रय करना, पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध परिवहन, भण्डारण तथा उनकी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कालाबाजारी करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 5750 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 13 ड्रम, 2 मोटर एवं 1 मिनी डिस्पेन्सिंग राजसात किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ की प्रथम सूचना रिपोर्ट 278/2021 दिनांक 30.09.2021 में जब्तशुदा 5750 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 13 ड्रम, 2 मोटर एवं 1 मिनी डिस्पेन्सिंग को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा 5750 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय 13 ड्रम, 2 मोटर एवं 1 मिनी डिस्पेन्सिंग को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं पुलिस थानाधिकारी सदर चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **04.05.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़